

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- अशोक सांगवा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 09/2011

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|------|----------------------------|
| 1. भंवरीदेवी पत्नी रूपाराम पुत्री हेमाराम | | शिवलाल पुत्र श्री गोरधनराम |
| 2. तकाराम पुत्र श्री हेमाराम | | जाति मेघवाल निवासी ग्राम |
| 3. जयराम पुत्र श्री हेमाराम | | हर्ष, तहसील बिलाड़ा जिला |
| 4. नारायणराम पुत्र श्री हेमाराम | | जोधपुर |
| जातियान मेघवाल, निवासीगण | | |
| थरासनी, तहसील सोजत, जिला | | |
| पाली राज. | | |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 25.01.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी। वादीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार रुक रुक कर आवाजे दिलायी गयी वादीगण स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः वादीगण का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा